अपर्णा 'यू'
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
ई–मेल–mduppcl12@gmail.com
दूरभाष–0522–2288377
फैक्स नं0 0522–2288410

पत्रांकः– 1131 / मु0अभि0(वा0एवंऊ0ले0)/सीयूआर–द्वि/धारा–5 दिनांकः दिसम्बर 26 ,2018

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदों में विद्युत बकाये के वसूली हेतु प्रेषित आर0सी0 का विवरण स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण)
समस्त क्षेत्र।

विदित हों कि वर्तमान में जनपदों में प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष वसूली की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। आर0सी0 की माह दिसम्बर में अबतक की गई समीक्षा से प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों की धनराशि के सापेक्ष वसूली गई धनराशि में कुछ जनपदों में उत्साहवर्धक परिणाम भी प्राप्त हो रहे है परन्तु कुछ जनपदों में अभी भी इस सम्बन्ध में अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

उदय योजना की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह विचारित हुआ है कि विद्युत देयों के बकाये सम्बन्धी प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों का विवरण जैसे, उपभोक्ता का नाम एवं पता तथा आर0सी0 हेतु प्रेषित धनराशि के विवरण की सूचना जनपद के स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित करायी जाये, जिससे सम्बन्धित उपभोक्ताओं की जानकारी जनमानस को हो एवं उपभोक्ता बकाये के सम्बन्ध में असहज होकर भुगतान हेतु बाध्य हो।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता अपने क्षेत्र में प्रेषित आर0सी0 के उपभोक्ताओं का विवरण स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करवायें।

Aparna. U.
(अपर्णा 'यू')
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः– /मु0अभि0(वा0एवंऊ0ले0)/सीयूआर–द्वि/धारा–5/तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, वि0वि0नि0लि0, मध्यांचल–लखनऊ, पूर्वांचल–वाराणसी, पश्चिमांचल–मेरठ, दक्षिणांचल–आगरा, केस्को– कानपुर।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
4. निदेशक (वा0), वि0वि0नि0लि0, मध्यांचल–लखनऊ, पूर्वांचल–वाराणसी, पश्चिमांचल–मेरठ, दक्षिणांचल–आगरा, केस्को– कानपुर।

(अपर्णा 'यू')
प्रबन्ध निदेशक

D:\RAVI CO\Ravi CO-Letter (1)..doc

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
CIN NO: 2201UP1999SGC024928
ई–मेल–mduppcl12@gmail.com
दूरभाष–0522–2288377
फैक्स नं0 0522–2288410

पत्रांक 526/मु0अभि0(वा0एवंऊ0ले0)/सीयूआर–द्वि0/धारा–5 — दिनांक जून 15,2019

विषयः– रू0 50,000.00 के ऊपर के विद्युत बकाये के वसूली हेतु प्रेषित आर0सी0 में पूर्ण विवरण अंकित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व।

ई–मेल

महत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
मध्यांचल/पूर्वाचंल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्कों
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

अवगत है कि वर्तमान में जनपदों में विद्युत वितरण खण्डों द्वारा प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष वसूली की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा वीडियो क्रान्फेसिंग के माध्यम से की जा रही है। सन्दर्भित समीक्षा से यह तथ्य विदित हुआ है कि वसूली में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहा है तथा विगत वित्तीय वर्षो के सापेक्ष वसूली में सुधार हो रहा है परन्तु कुछ जनपदों में अभी भी इस सम्बन्ध में अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

आर0सी0 के सम्बन्ध में कुछ जनपदो के जिलाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रेषित विवरण में उपभोक्ता के पिता का नाम एवं सम्पूर्ण सही पता अंकित नही होता है जिससे सम्बन्धित उपभोक्ता से वसूली में कठिनाई आती है।

दिनांक 13.06.2019 को अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न उदय योजना की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देशित किया गया है कि 11 के0वी0 पोषक का फीडर मैनेजर अवर अभियन्ता नामित है। अतः उक्त फीडर पर विद्युत बकाये के सम्बन्ध में प्रेषित आर0सी0 में सम्पूर्ण सही पता दिये जाने का उत्तर दायित्व अवर अभियन्ता का होगा। उपभोक्ता के विद्युत बिल पर पता अपूर्ण होने पर भी बकाये वसूली हेतु आर0सी0 प्रेषण के समय पूर्ण सही पता दिये जाने का उत्तरदायित्व अवर अभियन्ता का होगा एवं इसकी पुष्टि सम्बधित अवर अभियन्ता से की जायेगी।

विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा विशेषतया रू0 50,000.00 से ऊपर के आर0सी0 प्रेषण करते समय उपभोक्ता के पिता का नाम एवं पूर्ण सही पता अंकित कराया जायेगा अन्यथा की दशा में वे उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि आप अपने डिस्काम के सभी सम्बन्धित को आर0सी0 प्रेषण के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे जनपदों में ऊपर लिखित त्रुटियो के कारण आर0सी0 के वसूली में प्रतिकूल असर न हों।

Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक /मु0अभि0(वा0एवंऊ0ले0)/सीयूआर–द्वि0/धारा–5/तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

2– निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

ई–मेल 3– निदेशक (वाणिज्य), वि0वि0नि0लि0, मध्यांचल–लखनऊ, पूर्वाचंल–वाराणसी, पश्चिमांचल–मेरठ,दक्षिणांचल –आगरा, केस्कों–कानपुर।

ई–मेल 4– मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वि0वि0नि0लि0, मध्यांचल–लखनऊ, पूर्वाचंल–वाराणसी, पश्चिमांचल–मेरठ,दक्षिणांचल –आगरा, केस्कों–कानपुर।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक